जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति   दिनांक 27.08.2023

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 27.08.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं/बालिकाओं के साथ हो रहे अपराध एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 22.08.2023 को थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग को अभियुक्त द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा थाना कोतवाली शामली पर लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा अपहृता की बरामदगी एवं घटना में लिप्त अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शामली को दिये गये थे।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.अक्षित पुत्र जुम्मा निवासी ग्राम ऐरटी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

थाना आदर्शमंडी पुलिस द्वारा मो0सा0 चोरी व पुलिस पर फायरिंग करने के मामले में 05 वर्षों से फरार 01 मफरूर अभियुक्त गिरफ्तार।

ज्ञात हो कि दिनांक 02.07.2018 को थाना आदर्शमंड़ी पुलिस पर चैकिंग के दौरान 02 मो0सा0 सवार व्यक्तियों द्वारा फायरिंग की गयी थी जिसमें से 01 अभियुक्त विजय पुत्र कृष्णपाल उर्फ किशन बावरिया निवासी सतियो वाला मन्दिर गौशाला रोड़ थाना कोतवाली शामली जनपद शामली को मौके पर ही मय अवैध तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व चोरी की मो0सा0 सहित गिरफ्तार कर लिया गया था तथा 01 अन्य अभियुक्त शंकर उर्फ कान्हा उर्फ काला पुत्र पप्पू लंगडा निवासी ग्राम खोखसा थाना झिंझाना जनपद शामली मौके से फरार हो गया था तथा विगत 05 वर्षों से निरन्तर फरार चल रहा था। फरार अभियुक्त शंकर उर्फ कान्हा उर्फ काला उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में टीमों का गठन किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 27.08.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त वांछित मफरुर अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना आदर्शमंडी पुलिस द्वारा मो0सा0 चोरी व पुलिस पर फायरिंग करने के मामले में विगत 05 वर्षों से फरार 01 मफरुर अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना आदर्शमंडी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-

1.शंकर उर्फ कान्हा उर्फ काला पुत्र पप्पू लंगडा निवासी ग्राम खोखसा थाना झिंझाना जनपद शामली।

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 204/2018 धारा 307 भादवि थाना आदर्शमंडी जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 205/2018 धारा 414 भादवि थाना आदर्शमंडी जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 169/2019 धारा 174 ए भादवि थाना आदर्शमंडी जनपद शामली।

थाना गढ़ीपुख्ता पुलिस द्वारा शराब विक्रेता से गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 27.08.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना गढ़ीपुख्ता पुलिस द्वारा शराब विक्रेता से गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना गढ़ीपुख्ता पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 09.08.2023 को शराब विक्रेता श्री मनोज राणा पुत्र श्री विक्रम सिंह निवासी ग्राम दुल्लाखेड़ी थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली को अभियुक्त द्वारा गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना गढ़ीपुख्ता पर नामजद लिखित तहरीर दाखिल की गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना गढ़ीपुख्ता पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. रवि उर्फ टिल्लू पुत्र सुरेश चंद शर्मा निवासी ग्राम मालेन्डी थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली हाल निवासी गली न.4 विवेक विहार थाना आदर्शमंडी जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 68/23 धारा 504/506 भादवि थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

2. मु0अ0स0 5/16 धारा 3 यूपी गुण्डा एक्ट थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

3. मु0अ0स0 47/16 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

4.मु0अ0स0 142/15 धारा 386 भादवि थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

5.मु0अ0स0 21/12 धारा 302 भादवि थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

6. मु0अ0स0 40/12 धारा 302/201 भादवि थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

7. मु0अ0स0 65/12 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

8. मु0अ0स0 101/12 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI